संख्या- 1/2016-168 बी0पी0/35-1-2015-6/8(11)/2014

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2016*

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज पर गिरि विकास अध्ययन संस्थान से 'विजन पेपर' अध्ययन तैयार कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-565/चार-2034/मू0प्र0, दिनांक 25 जून, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि शा0सं0-2/280 बीपी/35-1-2014-6/8 (11)/2014, दिनांक 01 जनवरी, 2015 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज पर विजन पेपर का अध्ययन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से कराये जाने हेतु रू0 4.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुए प्रथम किश्त के रूप में कार्य प्रारम्भ करने हेतु रू0 2.85 लाख की धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी कि कुल लागत के द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रू0 2.00 लाख की धनराशि अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रो.जी.एस. मेहता, गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा ई-मेल दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के माध्यम से ''फाइनल विजन पेपर रिपोर्ट'' प्रस्तुत कर दी गई है। अत: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के का0 ज्ञा0 सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक-3451 के अन्तर्गत ''07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50,00,000/- के सापेक्ष उक्त अध्ययन के कुल लागत के द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने के साथ-साथ उक्त अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त स्वीकृति धनराशि निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार आहरित करके गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लेखा जोखा निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रखा जाएगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय नियोजन विभाग के आय-व्ययक 2015-16 की अनुदान संख्या- 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष्क '3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1/2016-168 बी0पी0(1)/35-1-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज हाउसिंग योजना, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।